

No. 2016/HQ/PIO/RTI-208

Date: 06-10-2016

Sh.Hakim Singh,  
S/o Late Sh. Heera Lal,  
Nagla Vidhi Post Samhow,  
Tehsil Bharthna, Jila Etawah.



Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your Application dt.02-08--2016 received in this office on 09-08-2016.

Information in respect of your queries as received from concerned department is as

under;

ग्राम-साम्हों, तह0-भरथना, जिला-इटावा की भूमि गाटा सं0-1535मि0, रकबा 0.0469हे0 का अभिनिर्णय वाद सं0 01/2008-09 दिनांक 08.02.2010 सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित किया गया था। जिसमें स्व0 श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी हाकिम सिंह, का 84.00 वर्ग मी0 का एक प्लाट है, जिस घर बना मकान आंशिक रूप से अर्थात् 52.86 वर्गमी0 प्रभावित है। चूंकि कुल मकान का अधिकांश हिस्सा प्रभावित है। अतः नियमानुसार निर्मित सम्पूर्ण भवन का मूल्य मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता से पी0डब्लू0डी0 की दरों के अनुसार निर्धारित कराकर कुल रू0 7,45,607.00 का श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी श्री हाकिम सिंह यादव को चेक सं0 14896 व 940975 में ही किया जा चुका है। क्षतिग्रस्त भवन से विस्थापित होने के फलस्वरूप मौलिक पात्रता के आधार पर पारगमन भत्ता रू0-4000/- तथा विस्थापित होने के फलस्वरूप रू0-10,000/- की सहायता राशि भी देय है।

श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी श्री हाकिम सिंह यादव ने मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर, के समक्ष अभिनिर्णय वाद सं0 01/2008-09 दिनांक 08.02.2010 के विरुद्ध वाद सं0 02/2010-11,109/2013-14 दायर किया था। जिसमें मा0 आर्बीट्रेटर महोदय ने दिनांक 20.01.2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था। पारित किया गया :-

*"मुख्य परियोजना प्रबन्धक, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 कानपुर को निर्देशित किया जाता है कि अर्जित भूमि में निर्मित तीन दुकानों की भूमि व निर्माण का मूल्यांकन व्यावसायिक दर से तथा अन्य आवासीय निर्माण व भूमि का मूल्यांकन आवासीय दर से करके प्रतिकर की धनराशि निर्धारित करना सुनिश्चित करें।"*

उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, स्वः श्रीमती ज्ञानश्री पत्नी हाकिम सिंह यादव, को अन्तर देय धनराशि की स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त हो गई है। मा0 आर्बीट्रेटर/आयुक्त के आदेशानुसार मकान के प्रभावित 43.09 वर्ग मी0 का आवासीय दर से तथा 09.78 वर्ग मी0 का व्यावसायिक दर से भुगतान किया जाना है। दरों का निर्धारण अधिसूचना के समय प्रभावी जिला मूल्यांकन सूची से किया गया है। जिसके भुगतान की कार्यवाही करते हुए आवश्यक वाउचर (फार्म-सी0सी0) पुष्टि हेतु मकान स्वामिनी को प्रेषित किये गये थे, किन्तु प्रार्थिनी द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे। शिकायतकर्ता द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से यह सूचना दी गई है कि श्रीमती ज्ञानश्री की मृत्यु दिनांक 02.07.2016 को हो चुकी है।

अतः सक्षम स्तर से निर्गत, उत्तराधिकारी, प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान संभव हो सकेगा। कृषि भूमि गाटासं0 1535 मि0 में श्री बृजेन्द्र बाबू पुत्र बाबूराम द्वारा ही श्रीमती ज्ञानश्री एवं श्री नेम सिंह को प्लाट विक्रय किये गये थे। जिसका उल्लेख राजस्व अभिलेख (खतौनी) में दर्ज नहीं है। इन प्लाटों के प्रभावित रकबे के अतिरिक्त शेष रकबा श्री बृजेन्द्र बाबू पुत्र बाबूराम का ही प्रभावित हो रहा है।



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.  
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

(भारत सरकार का उपक्रम)  
(A Govt. of India Enterprises)

5<sup>th</sup> Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi -110001

The name and address of Appellate authority is:

**Sh. Satish Kothari,**  
**GGM/ADMIN,**  
**DFCCIL/NEW DELHI-01**

(S.K. Panda)

DGM/PIO

Ph.9717636811

e-mail: skpanda@dfcc.co.in

Copy to

CDM/Aggra

: For Information & record w.r.of your Letter No.  
CNB/EN/RTI(2005)16(A) dated 04-10-2016

OK